हमला | विजयराघवगढ़ तसहील के घुनौर गांव के जंगल में हुई घटना, बहन के साथ लकड़ी बीनने गया बच्चा

तेंदुए के हमले से दस वर्षीय बच्चे की मौत

नवभारत, कटनी। जिले के विजयराघवगढ़ में तहसील के घुनौर गांव के जंगल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर लकड़ी बीनने के लिए अपने बहन के साथ गए दस वर्ष के बच्चे पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राज कोल अपनी बहन और दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ी बीनने गया था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारा और देखते ही देखते तेंदुए ने मुंह में दबाकर उसे जंगल की ओर खींच लिया। तेंदुए के हमले की जानकारी मिलने पर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर जंगल की ओर दौड़े, लेकिन तेंदुए का पता नहीं चल सका। बच्चे का शव घने

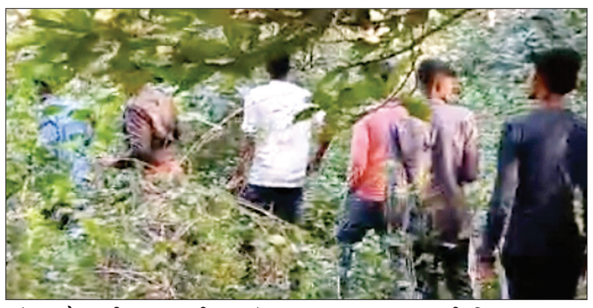

जंगल के करीब 500 मीटर अंदर झाड़ियों के बीच में मिला। बच्चे पर तेंदुए द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

जिसके बाद वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा पूरे जंगल क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तेंदुए की लोकेशन पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। टीम तेंदुए के पदचिह्नों के आधार पर उसकी दिशा का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता देखी जा रही थी। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते गश्त बढ़ाई जाती या तेंदुए को पकड़ने के प्रयास किए जाते, तो यह घटना नहीं होती। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि विजयराघवगढ़ और बरही क्षेत्र के जंगलों में लगातार बाघ, तेंदुएं की दस्तक रहती है, इन क्षेत्रों में आए दिए तेंदुए और बाघ देखे जाने की की जानकारी मिलती रहती है। कई बार तेंदुए और बाघ ग्रामीण अंचलों में रिहायशी क्षेत्र में आ जाते है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का महौल बना रहता है।

आठ लाख का मुआवजा

तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत के मामले की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा और विधायक संजय पाठक ने गहन दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार की हर सम्भव मदद का भरोसा दिया है।

सांसद ने बताया कि पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता दी जाएगी। विधायक संजय पाठक ने वन विभाग के वन मंडल अधिकारी गौरव शर्मा सहित अन्य अधिकारियों से सम्पर्क करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू करने का आग्रह किया। विधायक संजय पाठक ने डीएफओ गौरव शर्मा से बात कर परिवार की मदद और विजयराघवगढ़ विधानसभा का बहुत बड़ा हिस्से में वन्य जीवों की सक्रियता को देखते हुए तत्काल रूप से वन्य जीवों और मानव के बीच टकराव को रोकने के लिए फॉरेस्ट गार्ड, बीट गार्ड की पैट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया। जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

अवैध कॉलोनी में भी बनेगी सड़क, लगेगी स्ट्रीट लाइट

महापौर ने किया विकास शुल्क शिविरों का निरीक्षण

नवभारत, कटनी। नगर की अनाधिकृत कालोनियों का विकास करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में पहरूआ स्कूल के पास सहित इंदिरा गांधी वार्ड के शिवाजी नगर, बालाजी नगर और राम मनोहर लोहिया वार्ड के अहमदनगर में लगाए जा रहे शिविरों का मंगलवार को महापौर प्रीति संजीव सूरी ने जायजा लिया। ने शिविरों में नागरिकों द्वारा जमा की गई विकास शुल्क की राशि सहित उपस्थित लोगों से शिविरों की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वार्डो में आयोजित हो रहे शिविरों का एक दिन पूर्व ही वार्ड में प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि वार्डवासियोंको शिविर के संबंध में जानकारी मिल सके। उन्होने कहा कि विकास शुल्क की गणना संबंधी पूरी जानकारी शिविर में पहले से उपलब्ध रहे, ताकि लोगों को परेशान नहीं हो। महापौर ने कहा कि शिविरों का सही परिणाम तभी प्राप्त होगा जब नागरिक स्वेच्छा से सक्रिय सहभागिता कर अपने-अपने हिस्से की विकास शुल्क की राशि शिविरों में जमा करेंगे।

विकास शुल्क की राशि प्राप्त होने के के बाद संबंधित वार्डो की अनियमित कालोनियों में नियमानुसार सड़क, नाली, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत विकास कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान मेयर इन काउंसिल सदस्य सहित क्षेत्रीय पार्षदों की उपस्थिति रही।

एक नजर में

मिलावट के संदेह में लिए गए दूध के नमूने

नवभारत, कटनी। जिले में दूध में मिलावट को रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध के सेंपल लिए हैं। सेंपलों को जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि नेशनल हाईवे स्थित जायसवाल ढाबा के सामने दूध विक्रेता उत्तम यादव से दूध का सैंपल लिया गया। इसी प्रकार ठाकुर ढाबा भेड़ा से दूध का सैंपल लिया गया। लिए गए सेंपलों को जांच के लिए नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संचार संकर्म समिति की बैठक सात जनवरी को

नवभारत, कटनी। संचार संकर्म समिति की बैठक का आयोजन 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे से जिला पंचायत के सभागार में किया जाएगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल विकास निगम, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 2 वर्ष में कराए गए निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। संचार संकर्म समिति के सचिव ने बैठक मे सभापति अजय कुमार गौटिया सहित सदस्य संचार संकर्म समिति के शीला सिंह, माला मौसी, कविता पंकज राय के साथ-साथ सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मौजूद रहने के लिए कहा है।

स्कूल के छात्रों को दी गई योजनाओं की जानकारी

नवभारत, कटनी। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ सुनील कुमार बाजपेयी के मार्गदर्शन में कॉलेज चलो अभियान प्रभारी पुनर्वसु भट्टाचार्य के नेतृत्व मे सहायक प्राध्यापक राजेश साहू और डॉ शैलजा बरसैयां द्वारा किड्स केयर हायर सेकेंडरी स्कूल का भ्रमण किया गया। छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।

तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा से गिरकर छात्रा की मौत

कुठला थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, पुलिस ने शुरू की जांच

नवभारत, कटनी। कुठला थाना क्षेत्र में ऑटो रिक्शा से स्कूल जा रही एक आठ साल की बच्ची गिरने से मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि कुठला थाना अंतर्गत गल्ला मंडी क्षेत्र निवासी शिवांजली पिता मिथलेश यादव कृष्णा वैली स्कूल में पढ़ती थी और सोमवार को वह घर से स्कूल जाने के लिए ऑटो रिक्शा में सवार हुई थी। ऑटो में अन्य छात्राएं भी सवार थीं। जैसे ही

ऑटो रेलवे फाटक-ब्रिज के पास पहुंचा, तेज रफ्तार होने के कारण वह अनियंत्रित हो गया और शिवांजलि नीचे गिर गई। उसके सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्तीकराया गया। जहां उसकी मौत हो गई। मृतक बच्ची के नाना भगवत प्रसाद यादव ने ऑटो चालक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस ऑटो में बच्ची जा रही थी, उसमें दोनों तरफ सुरक्षा के लिए जालियां नहीं लगी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइवर बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। परिजन का आरोप है कि शहर में लंबे समय से बिना फिटनेस, परमिट और लाइसेंस के ऑटो धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन आरटीओ विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जिसके कारण इस तरह के जानलेवा हादसे हो रहे हैं।

भूमिहीन आदिवासियों को दिया जाए पांच एकड़ का सरकारी पट्टा

आदिवासी महासभा ने किया प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

नवभारत, कटनी। जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुड़ा, जमुनिया और कोको डबरा के सैकड़ों आदिवासियों ने शासकीय भूमि के आवंटन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है। आदिवासियों ने मांग की कि रिक्त सरकारी भूमि पर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए, ताकि वे खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस दौरान काफी संख्या में आदिवासी पुरुष और

महिलाओं की भीड़ मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी हाथों में ज्ञापन और नारेबाजी कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी परिवारों का कहना है कि उनके पास न तो पर्याप्त खेती की जमीन है और न ही कोई स्थायी रोजगार। जमीन के अभाव में वे मजदूरी पर निर्भर हैं, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर भी वे चिंतित हैं। आदिवासियों ने मांग की कि गांव में उपलब्ध रिक्त शासकीय भूमि में से प्रत्येक पात्र आदिवासी परिवार को 5-5 एकड़ का सरकारी पट्टा दिया जाए। उनका कहना है कि उन्हें खेती योग्य जमीन मिल जाए तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और शासन की योजनाओं का सही लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाओं और पुरूषों की मौजूदगी रही। राष्ट्रीय महासचिव छोटू कोल ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से जल, जंगल और जमीन की रक्षा करता आया है, लेकिन आज उन्हीं आदिवासियों को अतिक्रमण के नाम पर उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। उन्होने कहा कि जमीन से वंचित करना आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन जल्द से जल्द सर्वे कराकर पात्र आदिवासी परिवारों की सूची तैयार करे और उन्हें भूमि का आवंटन करे। प्रशासन को चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

9 साल पहले हुआ रिटायरमेंट, नहीं मिली पेंशन और जीपीएफ की राशि

जनसुनवाई में कलेक्टर से की गई शिकायत

नवभारत, कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 145 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान प्रेमनगर निवासी नरेश चौधरी ने आवेदन देते हुए बताया कि वह वर्ष 2005 से प्रेमनगर स्थित भूमि आईडी क्रमांक 1002052889 पर काबिज हैं, साथ ही नियमित रूप से टैक्स का भुगतान करता हैं,

लेकिन नगर निगम द्वारा भूमि का पट्टा अब तक नहीं दिया गया है। जिस पर कलेक्टर ने नगर निगम और एसडीएम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान रीतू बर्मन ने बताया कि उसकी मां सावित्री देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाकल में एएनएम के रूप में कार्यरत थी। वर्ष 2016 में वे सेवानिवृत्त हो चुकी है। लेकिन अभी तक पेंशन की राशि और जीपीएफ की राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई कर शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत बांध निवासी महेश प्रसाद ने बताया कि उसकी समग्र आईडी समग्र पोर्टल से हट गई है। जिसके कारण राशन और विकलांग पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है।

कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा है। बदेरा निवासी बालस्वरूप सिंह ने बताया कि बिजली बिल खपत से अधिक आया है। जिसे देने में वह असमर्थ हैं, जिस पर कलेक्टर ने विद्युत विभाग को शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

गंदगी फैलाने पर दुकान संचालकों पर 29 सौ का जुर्माना

नगर निगम की टीम द्वारा भ्रमण कर की जा रही कार्रवाई

नवभारत, कटनी। स्वच्छता नियमो का उल्लंघन करने पर नगर निगम की टीम ने दुकान संचालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 2 हजार 9 सौ रूपए का जुर्माना वसूल किया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि जोनवार चलाए गए अभियान के दौरान बस स्टैंड, माई नदी से दुबे कॉलोनी तक, माधवनगर बाजार क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी

फैलाने, कचरा निर्धारित स्थान पर नहीं डालने, स्वच्छता नियमों की अनदेखी करने वाले व्यक्तियों और दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 29 सौ रूपए का जुर्माना वसूल किया। नगर निगम के अधिकारियों ने शहरवासियों और दुकान संचालकों से सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के लिए कहा है। साथ ही कचरे को डस्टबिन में फैकने और गंदगी नहीं फैलाने के लिए कहा है। गदंगी फैलाने पर जुर्माना कार्रवाई की जाएगी।

होटल, ढाबों, बस स्टैंड में पुलिस ने शुरू की जांच

नववर्ष के मद्देनजर चलाया जा रहा विशेष अभियान

नवभारत, बहोरीबंद। जिले में नववर्ष के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, एएसपी संतोष डेहरिया और स्लीमनाबाद एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में बहोरीबंद पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत

सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, ढाबों, होटल-रेस्टोरेंट, बस स्टैंड, एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सघन चेकिंग और निगरानी की जा रही है। नशे की हालत में वाहन चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने, अवैध शराब, मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों की जांच की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर बंद की गई दो राइस मिल

शिकायत की जांच के बाद की गई कार्रवाई

नवभारत, कटनी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने तहसील ढीमरखेड़ा और विजयराघवगढ़ स्थित दो राईस मिलों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। कार्रवाई जनसुनवाई में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन संबंधी कलेक्टर से की गई शिकायत के बाद की गई है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधांशु तिवारी ने बताया कि कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम खमरिया स्थित राहुल गुप्ता की राईस मिल का निरीक्षण 26 नवंबर को किया गया। इसी प्रकार तहसील-विजयराघवगढ़ के ग्राम सिनगौडी स्थित मेसर्स कृष्णा धान मिल का निरीक्षण 3 दिसंबर को किया गया।

निरीक्षण के दौरान इन दोनों राइस मिल का संचालन बोर्ड की स्थापना और उत्पादन सम्मति प्राप्त किए बिना, सक्षम और प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किए बगैर किया जाना पाया गया। पर्यावरणीय अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक उद्योग को संचालन और उत्पादन करने के लिए बोर्ड से जल अधिनियम वायु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त करना और प्राप्त सम्मति का अद्यतन नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इन दोनों राइस मिल में पर्यावरणीय अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सक्षम और प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करते हुए खुले परिसर में भूसी का भंडारण किया जा रहा था, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों का उल्लघंन है। उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की स्थापना और स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का नियमित संचालन संधारण किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय अधिकारी ने इन दोनों राईस मिल को नियमों के उल्लंघन करने पर मिलों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कहा है।

साथ ही उन्होंने बिजली विभाग को विद्युत कनेक्शन काटने के लिए कहा है। क्षेत्रीय अधिकारी ने राईस मिल सचालकों को जारी आदेश की पावती भेजने और आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण | नगर निगम आयुक्त ने सीवर लाइन विस्तार कार्य, एसटीपी प्लांट और प्रधानमंत्री आवास योजना झिंझरी का किया निरीक्षण

कार्य में लापरवाही पर आयुक्त ने जताई नाराजगी, एमएसडब्ल्यू प्लांट हेड को नोटिस

नवभारत, कटनी। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने सीवर लाईन विस्तार कार्य, माधवनगर में निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सहित प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण के तहत झिंझरी में निर्माणाधीन एलआईजी, एमआईजी और ईडब्लयू एस भवनों की प्रगति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त द्वारा एमएसडब्ल्यू प्लांट में फ्रेश वेस्ट का निर्धारित समय पर प्रसंस्करण नहीं होने पर प्लांट हैड और इंडीपेंडेंट इंजीनियर युगल दुबे को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कचरा वाहनों में लगे जीपीएस सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग करने,

कचरा गाड़ियों के कचरे की माप करने, नगर निगम द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को इस कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करनें की सख्त हिदायत दी है।

नगर निगम आयुक्त ने बरगवां और माधवनगर से निरंकारी भवन तक चल रहे सीवर विस्तार, रोड रेस्टोरेश कार्य के निरीक्षण के दौरान पाइपलाइन की गहराई, जोड़ों की मजबूती, उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य निष्पादन का बारीकी से जायजा लिया।

नगर निगम आयुक्त ने कहा कि सीवर लाइन विस्तार कार्य भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, इसलिए इसकी गुणवत्ता दीर्घकालीन और टिकाऊ होनी चाहिए। उन्होंने समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट किया कि अनावश्यक देरी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कटाएघाट से डन कॉलोनी तक किए जाने वाले सीवर कार्य के प्रारंभ होने से पहले टीआई यातायात से समन्वय बनाते हुए प्लानिंग तैयार कर समय-सीमा में कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त ने कार्य के दौरान यातायात और पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए संकेत, बेरिकेड्स अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कहा। माधवनगर में निर्माणाधीन 750 एमएलडी प्लांट के निरीक्षण के दौरान निर्माण एजेंसी द्वारा शेष कार्य को पूरा कराने के लिए प्रस्तुत की गई समय सीमा के अनुरूप स्थल पर कार्य की प्रगति धीमी पाए जाने पर नगर निगम आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होने अतिरिक्त मशीनरी और मेन पावर लगाकर कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी। नगर निगम आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण के तहत झिंझरी में निर्मित एलआईजी एमआईजी और ईडब्ल्यूएस भवनों का निरीक्षण कर अधिकारियों से योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी ली।

23 जनवरी को होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन

नवभारत, कटनी। नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के अंतर्गत 23 जनवरी को सामूहिक विवाह किया जा रहा है। गरीबी रेखा के अंतर्गत पंजीकृत कन्या पक्ष के हितग्राही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है। योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी निर्धारित है। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी और निगमायुक्त तपस्या परिहार ने योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। नोडल अधिकारी सनद विश्वकर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत वधु को 49 हजार रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 6 हजार रुपए प्रति जोडों के मान से आयोजनकर्ता निकाय को दिए जाएंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने के लिए इच्छुक आवेदक वर और कन्या की तीन फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, गरीबी रेखा राशन कार्ड की छायाप्रति, कन्या के बैंक खाता की छायाप्रति, कन्या का मूल निवासी प्रमाण पत्र, वर और कन्या का समग्र परिवार आईडी ई-केवाईसी सहित अन्य दस्तावेज देने होंगे।

धर्मलोक हॉस्पिटल
A unit of Dharmlok Hospital Pvt. Ltd.
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
दूरबीन से पित्त की पथरी की सर्जरी, दूरबीन से अपेंडिक्स सर्जरी, दूरबीन से ओपन पेट की सर्जरी, उन्नत तकनीक (स्टेपलर/लेटर) के फिस्टुला सर्जरी, स्तन सर्जरी, किडनी/ प्रोस्टेट/मूत्रालशय सर्जरी, मधुमेह पैर की देखभाल/सर्जरी, तीव्र और जीर्ण घाव प्रबंधन।
डॉ. राजेश बत्रा
एम.एस., एफ.एम.ए.एस., एफ.आई.ए.जी.ई.एस., एफ.ए.आई.एस.
जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन
सामान्य एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गठान, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, निःसंतानता, बच्चेदानी निकालना, सफेद पानी का इलाज, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी, बार-बार गर्भपात होना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज/सिंड्रोम।
डॉ. हर्षा बत्रा
एमडी (ओबीजी) सोनोग्राफी डिप्लोमा
स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन विशेषज्ञ
आयुष्मान कार्डधारी मरीजों का एवं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड धारी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
ओपीडी सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
पता-आदर्श कालोनी रोड, कटनी (म.प्र.)
Ph. 07622-422390, 796084 Help line 24x7: 8305402024